

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2011/212/298

दिनांक : 30.3.11


कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक : एफ5 (3) नविवि/3/99-पार्ट जयपुर दिनांक 24.03.11 की अनुपालना में राजस्थान आवासन मण्डल में भी आवंटियों को बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :-

1. यदि लीज की बकाया राशि ही जमा करवाई जाती है तो देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. यदि वर्तमान बकाया राशि के साथ-साथ आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि भी एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उपर्युक्त छूट उन्ही प्रकरणों में देय होगी जिनमें दिनांक 30.04.11 तक आवासन मण्डल के संबंधित कार्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा एवं दिनांक 30.06.11 तक लीज राशि जमा करवा दी जायेगी।

उक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव- अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. उप शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता/सचिव/निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त वृत रा. आ. म.
9. आवासीय अभियन्ता खण्ड
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार